उच्च न्यायालय ने 17वीं सदी के आगरा स्मारक को संरक्षित करने का आदेश दिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **इलाहाबाद** उच्च न्यायालय **ने 17वीं शताब्दी के** विरासत स्थल**, आगरा के हम्माम** को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया तथा **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** और राज्य प्राधिकारियों को **स्मारक को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने का निर्देश दिया।**

मुख्य बिंदु

- **विरासत स्थल का संरक्षण:**
  - **आगरा में अली वर्दी खान के हम्माम** की सुरक्षा के लिये एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसमें "अवैध और अनधिकृत व्यक्तियों" द्वारा ध्वस्त किये जाने के आसन्न खतरे का हवाला दिया गया था।
  - आगरा के चिपिटोला में स्थित हम्माम की अक्तूबर 2023 में ASI सर्वेक्षण से पुष्टि हुई थी कि इसका निर्माण 1620 ई. में हुआ था।
- **संरक्षण के लिये न्यायालय के निर्देश:**
  - उच्च न्यायालय ने पुलिस आयुक्त, आगरा, ASI और उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि स्मारक को कोई नुकसान न पहुँचे।
  - पुलिस आयुक्त को संरचना की सुरक्षा के लिये पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया गया।
- प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत, ASI और राज्य प्राधिकारियों का **कर्त्तव्य है कि वे 400 वर्ष पुराने हम्माम की सुरक्षा की जाए।**

शाही हम्माम

- यह आगरा के चिपिटोला में स्थित एक **मुगलकालीन स्नानागार है, जिसका निर्माण अलीवर्दी खान ने 1620 में करवाया था।**
- किसी समय यह हम्माम एक बड़े सराय परिसर का हिस्सा था, यह न केवल **स्नान की सुविधा के रूप में कार्य करता था,** बल्कि एक **सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता था।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/hc-orders-to-protect-17th-century-agra-monument